

# उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

ई-मेल : [hajcommittee.up@gmail.com](mailto:hajcommittee.up@gmail.com), [shcuplko@rediffmail.com](mailto:shcuplko@rediffmail.com) ] वेबसाइट: [hajcommittee.up.gov.in](http://hajcommittee.up.gov.in)

पत्रांक : जी-11/159/एस0एच0सी/2026

दिनांक : 17.03.2026

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया ने सकुर्लर-32 दिनांक 16.03.2026 में अवगत कराया है कि सऊदी अरब सरकार के हज मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार सभी हज यात्रियों के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग एवं वैक्सीनेशन अनिवार्य है, जिनमें नॉन रेजिडेंट इण्डियंस (एन0आर0आई0) भी सम्मिलित हैं।

वैक्सीनेशन हज यात्रा से 10 दिवस पूर्व तक भी करवाया जा सकता है, वीजा निर्गत होने की अन्तिम तिथि के दृष्टिगत मेडिकल स्क्रीनिंग एवं फिटनेस प्रमाणन 18.03.2026 तक कराया जाना अनिवार्य है।

नॉन रेजिडेंट इण्डियंस (एन0आर0आई0) हज यात्री जिस देश में भी रह रहे हों वहां के सरकारी अथवा प्राइवेट हेल्थ केन्द्रों से मेडिकल स्क्रीनिंग कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति राज्य हज समिति को उपलब्ध करा दें। वैक्सीनेशन भारत में उड़ान की तिथि से 10 दिन पूर्व तक करा सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इण्डियंस (एन0आर0आई0) के मेडिकल स्क्रीनिंग व वैक्सीनेशन पर होने वाला व्यय हज यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। सभी हज यात्री मूल हेल्थ कार्ड सम्पूर्ण यात्रा में अपने साथ आवश्यक रखें।

2- हज कमेटी आफ इण्डिया ने सकुर्लर-33 दिनांक 16.03.2026 में अवगत कराया है कि सऊदी अरब सरकार ने सभी हज यात्रियों के लिए अदाही (जानवरों की कुरबानी) की खरीद केवल नुसुक मसार पोर्टल पर अदाही प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके दृष्टिगत जो हज यात्री जानवरों की कुर्बानी देना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक हज कमेटी आफ इण्डिया के पोर्टल पर इसका विकल्प नहीं चुना है, ऐसे यात्रियों हेतु दिनांक 23.03.2026 तक हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट [hajcommittee.gov.in](http://hajcommittee.gov.in) पर अपने लॉगिन आईडी से अदाही का विकल्प चुनने का अन्तिम अवसर दिया जा रहा है।

स्टेट हज इंस्पेक्टर भी इसका विकल्प चुन सकते हैं, इसपर होने वाला स्टेट हज इंस्पेक्टर को स्वयं वहन करना होगा।

(एस0पी0 तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा10 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 को मा10 मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा10 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा10 मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा10 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. मा10 सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त ट्रेनर, उ0प्र0।
9. समस्त स्टेट हज इंस्पेक्टर, उ0प्र0।
10. समस्त ट्रेनिंग सेन्टर/ई-सुविधा केन्द्र, उ0प्र0।
11. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

Digitally signed by  
Sheo Prakash Tiwari  
Date: 17-03-2026  
15:50:17

(एस0पी0 तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी